बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

— : अधिसूचना :—

संचिका सं. :—03/विविध-16-12/2019 1952 **दिनांक :—**05.4.19

माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक—15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है। इसके लिये विचारोपरांत राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में **(i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ** को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में **(i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर** का चयन करते हुए अधिसूचित किया जाता है।

2. इन सभी छः शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार निम्नांकित कार्यों को आगामी छः माह के अंदर पूर्ण किया जाना है :—

(i) सभी वार्डों में कचड़े का Door to Door संग्रहण।
(ii) सभी वार्डों में Source Segregation।
(iii) पृथक्कृत कचड़े का अलग—अलग परिवहन।
(iv) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण (Compost Pit एवं MRF) हेतु भूमि का चयन।
(v) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में Lease पर जमीन लेना।
(vi) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु गीले कचड़े के लिए Compost Pit का निर्माण एवं सूखे कचड़े के लिए Material Recovery Centre का निर्माण।
(vii) Landfill Facility हेतु सरकारी भूमि का चयन।
(viii) Landfill Facility हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता में रैयति भूमि का अधिग्रहण।
(ix) Construction and Demolition Waste के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु Agency का चयन करते हुए कार्य प्रारंभ किया जाना।
(x) Legacy Waste को चिन्हित करते हुए उनके निपटान हेतु Agency का चयन।
(xi) समय—समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा निर्देश दी जायगी।

3. उपरोक्त कार्यों को वर्तमान में जारी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किये जाने हेतु निर्वाचन विभाग के पत्रांक—2262, दिनांक—29.03.2019 द्वारा सहमति संसूचित की गई है।

विश्वासभाजन,
5/4/2019
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :—03/विविध-16-12/2019 1952 **पटना, दिनांक :—**05.4.19

प्रतिलिपि :—सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

5/4/2019

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/विविध-16-12/2019 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :–अवर सचिव–ई गजट कोषांग वित्त विभाग/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियां नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

5/4/2019

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/विविध-16-12/2019 1952 **पटना, दिनांक :–** 05/4/19

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

5/4/2019

प्रधान सचिव।